[Dr. Subramaniam Swamy]

would like to know from the hon. Minister, when the representations come, whether he himself would look into them and negotiate with the Union. I am not making it a discussion. I am only asking a question. Under rule 355, this has been allowed in the past. The other day, in the Rajya Sabha, when the Prime Minister made a statement, a discussion was allowed. I want to know whether the level of negotiations will be at the Minister's level.

MR. CHAIRMAN: Rule 355 says:

"When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, he shall ask the question through the Speaker."

Now, this is not a discussion. I am sorry there is no sufficient reason ... (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Earlier vital mattters of this kind had been discussed. This is the last day of the session. I cannot bring up this matter in any other manner. We are only asking what is due to us.

MR. CHAIRMAN: In my opinion, it is not due, it may be due in your opinion. I am sorry.

14.20 hrs.

MATTERS UNDER RULES 377— *Contd.*

(iii) NEED TO INCREASE NUMBER OF RAIL SERVICES IN UJJAIN AND INDORE DIVISION OF WESTERN RAILWAY.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं :

इन्दौर-देवास-उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। प्रति दिन हजारों यात्री इन्दौर-उज्जैन तथा उज्जैन इन्दौर के बीच यातायात करते हैं। इन में अनेक लोग नौकरी करने वाले भी हैं जिन्हें 11 बजे आफिस पहुंचना होता है। किन्हीं को उज्जैन से उच्च न्यायालय (खंड पीठ) इन्दौर जाना होता है। उज्जैन तथा इन्दौर में संभाग आयुक्त के मुख्यालय भी हैं। श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यवसायी-व्यापारियों तथा आम जनता की यह मांग है कि प्रात: 9 बजे उज्जैन से इन्दौर के बीच कम दूरी के मीटर गेज रास्ते से एक एक्सप्रेस ट्रेन चल कर प्रात: साढ़े दस बजे तक इन्दौर पहुंच जाय तथा शाम साढ़े पांच बजे इन्दौर से चल कर 7 बजे तक उज्जैन आ जाय। इस के साथ ही इन्दौर-दिल्ली तथा इन्दौर-बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध करायी जाय। अहमदाबाद-रतलाम तथा लखनऊ-कोटा यात्री गाड़ियों को क्रमश: उज्जैन तथा रतलाम तक बढ़ाया जाय। सर्वोदय एक्सप्रेस का स्टापेज नागदा जंक्शन पर दिया जाय जिस में कि उज्जैन के लिए 20 शायिकाओं का आरक्षण है। किन्तु स्टापेज नहीं होने के कारण यात्री इस सुविधा से वंचित हैं। नागदा जंक्शन पर नागदा मंडी तथा बिरला ग्राम औद्योगिक नगर को ओवर ब्रिज से जोड़ कर दुर्घटनाओं को रोका जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से संभागीय रेल प्रबन्धक रतलाम, पश्चिम रेलवे के प्रमुख प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) को तथा रेल मंत्रालय को अवगत कराया गया है। किन्तु इन समस्याओं पर न तो प्रशासन ने न ही रेल मंत्रालय ने ध्यान दिया है। इतना ही नहीं रेल प्रशासन को लिखे गए पत्रों का समय पर तथा समुचित उत्तर तत्परता से नहीं दिया गया है। इस लगातार उपेक्षा के कारण तथा क्षेत्र की जनता को रेल सुविधाओं के अभाव के कारण व्यापक असंतोष है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए रेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दे कर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करावें।